

05<sup>11</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधि-  
वक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के अनवाम  
के अनुसार तीन बार आवजें लगाई  
जाने के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता  
अनुपस्थित रहे हैं। अतः पत्रावली अदम  
हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की  
जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर  
नंबर से कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली